कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in
संख्या-295/2023 दिनांक-14.09.2023

प्रेस नोट

25000 रूपये का इनामिया अन्तरजनपदीय गैंगेस्टर अपराधी पुलिस मुठभेड मे घायल, अवैध असलहा व लैब से चोरी के कीमती मशीन बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक 09.09.2023 को ग्राम तरफकाजी में स्थित नेशनल पैथोलाजी की दूकान में ताला तोड़कर सीबीसी सेल काउन्टर मशीन, बायो कमेस्टी मशीन, कैमरा मशीन, माइक्रो स्कोप, बैटरी, लैब कैमिकल व काउन्टर को तोड़कर 10 हजार नगद रुपये चोरी करने को लेकर थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 413/2023 धारा 457,380 भा0द0वि0 की विवेचना के क्रम में 1. अमरजीत पुत्र बुद्धी राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2. राहुल पुत्र बालचन्द्र राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 3. सुनील पुत्र राजेन्द्र निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 4. संदीप पुत्र रामजीत निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 5. राजन पुत्र विनोद निवासी चकरा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 6. सुधीर राम पुत्र सर्वजीत राम निवासी चकरा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया ।

➡ उक्त अभियुक्त थाना बरदह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त भी था तथा 25000 का इनाम भी घोषित था । जिसकी विवेचना प्र0नि0 देवगांव द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 14.09.2023 को प्र0नि0 अनिल सिंह मय हमराह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 25000 रूपये का इनामिया बदमाश जो गैंगेस्टर व चोरी के मुकदमे में वांछित भी है, वह चोरी का सामान लेकर मेहनजापुर बेचने के लिये हाईवे से चेवार पूरब होते हुए निहोरगंज की तरफ जा रहा है जिसके पास अवैध असलहा भी है अगर से चेकिंग किया जाय तो पकड़ा जा सकता है ।

इस सूचना पर उक्त बदमाश के आने वाले रास्ते पर पुलिस टीम चेवार चड़िया पुलिया पर घेरा बन्दी करके बदमाश का इन्तेजार करने लगी। कुछ देर बाद सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार उमरी की तरफ मुड़ कर भागने के दौरान फिसलकर मोटर साइकिल सहित गिर पड़ा तथा कट्टा निकालकर पुलिस पर अन्धाधुन्ध व लगातार फायरिंग किये जाने पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी जिसमें उक्त बदमाश के बायें पैर के घूटने के नीचे गोली लगी जिससे बदमाश घायल गिर गया। बदमाश को समय करीब 08.30 बजे पकड़ लिया गया जिसकी पहचान नाम सुनील पुत्र राजेन्द्र निवासी लेबरूआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर के रूप में हुयी।

➡ अभियुक्त के पास से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 खोखा कारतूस .315 बोर, चोरी का बायोकेमिलक मशीन कीमत करीब 1.5 लाख रूपया व 01 मोटर साइकिल व 01 मोबाइल बरादम हुआ।

➡ दिनांक 13.09.2023 को उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देवगांव हाईवे मोड़ से 02 अभियुक्तों अमरजीत पुत्र बुद्धी राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ (01 मानीटर, 01 अदद कीबोर्ड, 01 अदद माउस, 01 अदद सीपीयू व 02 अदद कम्प्यूटर केबल) व अभियुक्त राहुल पुत्र बालचन्द्र राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ (01 नाजायद तमंचा .303 बोर, 01 जिंदा कारतूस .303 बोर व 01 सीबीसी मशीन, 01 बारकोड स्कैनर मशीन) के साथ गिरफ्तार किया गया था।

➡ गिरफ्तारी के दौरान मौके से उपरोक्त अभियुक्त सुनील पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त फरार हो गया था ।

पूछताछ का विवरण-

पकड़े गये व्यक्ति से भागने व पुलिस पर फायर करने का कारण पूछने पर बताया कि मैने अपने गैंग के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर दर्जनों चोरियां की है । थाना बरदह द्वारा मेरे घर की कुर्की की गयी थी जिसके बाद में फरार चल रहा था।

➡दिनांक 4/5.09.2023 की रात्रि में हम लोगों ने जिवली थाना बरदह में प्राथमिक विद्यालय में चोरी की थी जिसमें इन्वर्टर व अन्य सामान चोरी किया था।

➡दिनांक 09.09.2023 की रात में तरफकाजी में पैथोलाजी की दूकान में ताला तोड़कर सीबीसी सेल काउन्टर मशीन, बायो कमेस्टी मशीन, कैमरा मशीन, माइक्रो स्कोप, बैटरी, लैब कैमिकल व काउन्टर को तोड़कर 10 हजार नगद रुपये चोरी किया था।

➡चोरी से मिले सामान को मैने नरायनपुर नेवादा में किराये का मकान लेकर उसी में छुपा कर रखा था तथा धीरे धीरे उसमें से सामान निकालकर बेचते रहता था तथा मिले पैसे का आपस में बटवारा कर लेते हैं। दो सहयोगियों की गिरफ्तारी पर पुलिस द्वारा उनकी निशानदेही पर अन्य सामान की बरामदगी की गयी थी।

मेरे पास 01 खून जाँच करने की मशीन थी जिसे लेकर मेहनाजपुर में बेचने व फरार होने की फिराक में मै मोटर साइकिल से जा रहा था किन्तु आप लोगो द्वारा मुझे रोका गया तो मै पकडे जाने से बचने के लिए आप लोगो पर फायरिंग कर दिया ।

घटना के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे साथ चोरी की घटना में अमरजीत पुत्र बुद्धी राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़, राहुल पुत्र बालचन्द्र राम निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व संदीप पुत्र रामजीत निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर तथा राजन पुत्र विनोद निवासी चकरा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर व सुधीर राम पुत्र सर्वजीत राम निवासी चकरा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर शामिल थे ।

हम लोग घूम फिरकर देवगाव, तरवा, बरदह मेहनाजपुर, केराकत चन्दवक थाना क्षेत्र में रैकी कर रात में चोरी कर किराये की गाडी मंगाकर जो भी सामान मिलता है चुरा लेते है । सभी चोरी की गयी सामान को भिन्न भिन्न स्थानो पर किराये पर कमरा लेकर चोरी का सामान छिपा देते है तथा मौका पाने पर उस सामान को बेचकर प्राप्त रूपये से अपना व अपने परिवार का खर्च चलाते हुए अपने साथ घटना मे शामिल लोगो को भी हिस्सा दे देता हूं । हम लोगों ने और भी कई जगहों पर चोरिया की है जो मुझे याद नही है।

पास में पड़ी मोटरसाईकिल को देखा गया तो एक मेलरोज कम्पनी की SEMI- I- MAX 1220 MELROSE कम्पनी बायो केमिकल मशीन मोटर साईकिल मे बंधी हुई बरामद हुई ।

जिसके सम्बन्ध मे पूछने पर पकड़े गये व्यक्ति सुनील द्वारा बताया गया कि यह मशीन तरफकाजी में नेशनल पैथोलाजी से दिनांक 09.09.2023 को अपने साथियो के साथ चुराया था तथा तमंचा के बारे मे पूछते हुए कागजात माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा । जिसे जुर्म धारा 307 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट व 457,380,411 भादवि का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 08.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया ।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u>

मुं.अ.सं. 424/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगाँव

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

सुनील पुत्र राजेन्द्र निवासी लेबरूआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

<u>बरामदगी का विवरण</u>-

01 तमंचा .315 बोर,

01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

03 खोखा कारतूस .315 बोर,

01 मोटर साइकिल (चोरी की)

01 मोबाइल

01 बायोकेमिलक मशीन कीमत करीब 1.5 लाख रूपया(चोरी की)

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

<u>अभियुक्त- सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी लेबरूआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर</u>

1	मु0अ0सं0 204/2016	धारा 457,380,411	भादवि	सरायख्वाजा	जौनपुर
2	मु0अ0सं0 413/2016	धारा 457,380,411	भादवि	सरायख्वाजा	जौनपुर
3	मु0अ0सं0 803/2016	धारा 401,41,411	भादवि	लाइनबाजार	जौनपुर

4 मु0अ0सं0 1343/2016 धारा 380,411 भादवि केराकत जौनपुर

5 मु0अ0सं0 1374/2016 धारा 457,380,411 भादवि केराकत जौनपुर

6 मु0अ0सं0 1044/2016 धारा 457,380,411 भादवि खेतासराय जौनपुर

7 मु0अ0सं0 41/2017 धारा 411,413,414 भादवि सरायख्वाजा जौनपुर

8 मु0अ0सं0 1265/2017 धारा 379,411 भादवि जाफराबाद जौनपुर

9 मु0अ0सं0 36/2018 धारा 457,380,411 भादवि जाफराबाद जौनपुर

10 मु0अ0सं0 37/2018 धारा 457,380,411 भादवि जाफराबाद जौनपुर

11 मु0अ0सं0 54/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट जाफराबाद जौनपुर

12 मु0अ0सं0 161/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट जाफराबाद जौनपुर

13 मु0अ0सं0 223/2020 धारा 392,411 भादवि बरदह आजमगढ़

14 मु0अ0सं0 219/2021 धारा 395,397,412 भादवि बरदह आजमगढ़

15 मु0अ0सं0 253/2021 धारा 457,380,411 भादवि बरदह आजमगढ़

16 मु0अ0सं0 210/2021 धारा 457,380,411 भादवि बरदह आजमगढ़

17 मु0अ0सं0 264/2021 धारा 457,380,411 भादवि देवगांव आजमगढ़

18 मु0अ0सं0 250/2021 धारा 324,379 भादवि चन्दवक जौनपुर

19 मु0अ0सं0 277/2021 धारा 380,411 भादवि चन्दवक जौनपुर

20 मु0अ0सं0 384/2021 धारा 380,411 भादवि केराकत जौनपुर

21 मु0अ0सं0 388/2021 धारा 380,411 भादवि केराकत जौनपुर

22 मु0अ0सं0 292/2021 धारा 457,380,411 भादवि चन्दवक जौनपुर

23 मु0अ0सं0 293/2021 धारा 411,413,414 भादवि चंदवक जौनपुर

24 मु0अ0सं0 294/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट जाफराबाद जौनपुर

25 मु0अ0सं0 85/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट बरदह आजमगढ (25000 पुरस्कार घोषित)

26 मु0अ0सं0 268/2023 धारा 457,380,411 भादवि देवगांव आजमगढ़

27 मु0अ0सं0 413/2023 धारा 457,380,411 भादवि देवगांव आजमगढ़

<u>बरामदगी करने वाली टीम-</u>

1. प्र0नि0 अनिल सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
2. उ0नि0 मुरारी मिश्र थाना देवगाँव आजमगढ़
3. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह थाना देवगाव जनपद आजमगढ
4. हे0का0 अजीत सिंह थाना देवगाव जनपद आजमगढ
5. का0 शिवम तिवारी थाना देवगाव जनपद आजमगढ